वित्तीय स्वीकृति-2021-22
संख्या-4/2021/804/52-2-2021-13(बजट)/21

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिय **उ०प्र० वक्फ न्यायाधिकरण** के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि कुल रू० **2,67,45,000/- (रू० दो करोड़ सरसठ लाख पैंतालीस हजार मात्र)** का 50 प्रतिशत **रू० 1,33,72,500/- (रू० एक करोड़ तैंतीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नवत् तालिका के अनुसार प्राविधानित धनराशि कुल रू० **2,67,45,000/- (रू० दो करोड़ सरसठ लाख पैंतालीस हजार मात्र)** का 50 प्रतिशत **रू० 1,33,72,500/- (रू० एक करोड़ तैंतीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ मात्र)** को अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

आयोजनेत्तर **(रू० लाख में)**

क्र०	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	01-वेतन	101.81	50.91
2	02-मजदूरी	2.00	1.00
3	03-मंहगाई भत्ता	30.54	15.27
4	04-यात्रा व्यय	2.00	1.00
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00	3.00
6	06-अन्य भत्ते	5.00	2.50
7	07-मानदेय	10.00	5.00
8	08-कार्यालय व्यय	8.00	4.00

http://shasanadesh.up.gov.in

9	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.50	1.75
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	2.50
11	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.50
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.00	6.00
13	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.10	0.05
14	18-प्रकाशन	2.00	1.00
15	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.00	1.00
16	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	1.00
17	38-अन्तरिम सहायता	-	-
18	42-अन्य व्यय	5.00	2.50
19	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	1.00
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	1.00
21	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	10.00	5.00
22	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.00	2.00
23	49-चिकित्सा व्यय	6.00	3.00
24	51-वर्दी व्यय	0.50	0.25
25	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	13.00	6.50
26	55-मकान किराया भत्ता	5.00	2.50
27	56-नगर प्रतिकर भत्ता	-	-
28	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	12.50
	योग	**267.45**	**133.725**

रू० 1,33,72,500/- (रू० एक करोड़ तैंतीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ मात्र)

2- (1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप प्रपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ०प्र० वक्फ न्यायाधिकरण के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ०प्र० लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार उ०प्र० वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- उ०प्र० वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
9- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4
10-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in